

## भारत में संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण

### प्रलम्ब के लिये:

[राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड \(NBWL\)](#), [हलॉगापार गबिबन अभयारण्य](#), [राष्ट्रीय उद्यान](#), [वन्यजीव \(संरक्षण\) अधिनियम, 1972](#), [राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण \(NTCA\)](#), [सामुदायिक रज़िर्व](#), [पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय \(MoEFCC\)](#), [वन \(संरक्षण\) अधिनियम, 1980](#), [WWF इंडिया](#), [काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान](#), [पोबतौरा वन्यजीव अभयारण्य](#), [बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान](#), [राष्ट्रीय हरति अधिकरण \(NGT\)](#)।

### मेन्स के लिये:

संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव आवास के संरक्षण का महत्त्व।

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स

## चर्चा में क्यों?

[राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड \(NBWL\)](#) ने असम के [हलॉगापार गबिबन अभयारण्य](#) में तेल अन्वेषण हेतु एक कंपनी की सहायक कंपनी के प्रस्ताव को विलंबित कर दिया, जो लुप्तप्राय [हलॉक गबिबन](#) का आवास स्थल है।

- भारत की एकमात्र वानर प्रजाति के आवास के रूप में इस अभयारण्य का महत्त्व, तथा अतिक्रमण और विकास पर बढ़ती चिंताओं के कारण विकास एवं संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर चर्चा की जा रही है।

## भारत में संरक्षित क्षेत्र और संबंधित विनियम क्या हैं?


### परिचय:

- संरक्षित क्षेत्र (PA) ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जिनका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना और वन्यजीवों को मानवीय हस्तक्षेप से बचाना है।
- वर्गीकरण और विनियमन:
  - राष्ट्रीय उद्यान: [राष्ट्रीय उद्यान](#) भारत में सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र हैं, जो उच्च स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
    - इन क्षेत्रों का संरक्षण [वन्यजीव \(संरक्षण\) अधिनियम \(WPA\), 1972](#) के तहत किया जाता है, तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नियंत्रित पर्यटन को छोड़कर, इनकी सीमाओं के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं है।
    - खनन, लकड़ी काटना और पशुओं को चराना जैसी विकासोत्प्रेरक गतिविधियाँ सख्त वर्जित हैं।
    - राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन का कार्य [राज्य सरकार](#) का है, लेकिन [राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड \(NBWL\)](#) और [राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण \(NTCA\)](#) भी इसमें, विशेष रूप से बाघों जैसी वंशित प्रजातियों के लिये, महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - वन्यजीव अभयारण्य: [वन्यजीव अभयारण्य भी WPA, 1972](#) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन [राष्ट्रीय उद्यानों](#) की तुलना में कुछ अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं।
    - वे कुछ मानवीय गतिविधियों, जैसे चराई और वन उत्पादों के संग्रहण की अनुमति देते हैं, बशर्ते कि वे वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।
    - अभयारण्यों का प्रबंधन वन्यजीव संगठनों और विशेषज्ञों के सहयोग से [राज्य वन विभागों](#) के अधिकार क्षेत्र में आता है।
  - संरक्षण रज़िर्व: [संरक्षण रज़िर्व WPA](#) के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जहाँ वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षित है, लेकिन मानव गतिविधियों, जैसे चराई और जलाऊ लकड़ी संग्रह, को विनियमन के तहत अनुमति दी जाती है।
    - इन क्षेत्रों का निर्माण महत्त्वपूर्ण आवासों को सुरक्षित रखने, वन्यजीव गलियारों की रक्षा करने तथा अत्यधिक संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिये किया गया है।
    - ये क्षेत्र [स्थानीय समुदायों](#) को स्थायी आजीविका बनाए रखते हुए संरक्षण प्रयासों में भाग लेने की अनुमति देते हैं।
    - [राज्य सरकार](#) स्थानीय हितधारकों और संरक्षणवादियों की भागीदारी से इन क्षेत्रों का प्रबंधन करती है।
  - [सामुदायिक रज़िर्व: सामुदायिक रज़िर्व](#) संरक्षण हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र हैं, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीव के संरक्षण में [स्थानीय समुदायों](#) की प्रत्यक्ष भागीदारी शामिल होती है।

- ये रज़िर्व नज़ी या सामुदायक स्वामतुव वाली भूमपर स्थापत कथे जा सकते हैं , जनका लक्ष्य जैव ववधता संरक्षण एवं सतत संसाधन प्रबंधन में सुधार करना है ।
- पर्यटन, कृषा और छोटे पैमाने पर वन उत्पाद नषिकरण जैसी गतवधधियों तब तक अनुमेय हैं जब तक वे संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप हों ।
- इसका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा कथे जाता है, लेकन इसमें स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है ।


## वनयामक प्राधकरण

- पर्यावरण, वन और जलवायु परवर्तन मंत्रालय (MoEFCC): MoEFCC राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव संरक्षण एवं वन प्रबंधन के लये ज़मिमेदार शीर्ष नक़ाय है ।
  - यह संरक्षत क्षेत्रों के वक़ास और रखरखाव के लये नीतियों, दशा-नरदेश तैयार करता है तथा वतितपोषण उपलब्ध करता है ।
  - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत वन्यजीव वभाग वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की देखरेख करता है तथा WPA के अनुपालन को सुनश्चत करता है ।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL): NBWL एक सलाहकार नक़ाय है जो संरक्षत क्षेत्रों में या उसके आसपास परयोजनाओं के अनुमोदन सहत संरक्षण के मुद्दों पर सफ़ारशें प्रदान करता है ।
  - यह नए संरक्षत क्षेत्रों और उनकी प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी देने के लये भी ज़मिमेदार है ।
- राज्य वन वभाग: प्रत्येक राज्य का अपना वन वभाग होता है जो अपने अधकार क्षेत्र में संरक्षत क्षेत्रों का प्रबंधन करता है । यह वभाग दन-प्रतदलन के कार्यों, संरक्षण कानूनों के प्रवर्तन और वन्यजीव आबादी की नगरानी के लये ज़मिमेदार होता है ।
  - ये वभाग वन (संरक्षण) अधनयम, 1980 को लागू करने के लये भी ज़मिमेदार हैं, जो संरक्षत क्षेत्रों में आने वाले वन क्षेत्रों सहत वनों की कटाई और भूमउपयोग परवर्तन को नयंत्रत करता है ।
- वन्यजीव संरक्षण सोसायटी और गैर सरकारी संगठन: वभनन वन्यजीव संरक्षण संगठन, जैसे कभारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी (WPSI) और WWF इंडया, संरक्षत क्षेत्रों की ज़मीनी सुरक्षा, अवैध गतवधधियों की नगरानी तथा मज़बूत संरक्षण कानूनों के समर्थन में महत्त्वपूर्ण भूमक़ा नभते हैं ।



# राष्ट्रीय उद्यान- II

106 राष्ट्रीय उद्यान (2022)



## परिचय

- पारिस्थितिकी, प्राणिजगत, वनस्पति, भू-आकृति अथवा जंतु जगत संबंधी महत्व को संरक्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान/नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।
- इन क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 के तहत सुरक्षा प्राप्त होती है।
- राष्ट्रीय उद्यान के भीतर राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा WPA में उल्लिखित शर्तों के तहत प्रदान की गई अनुमति के अलावा, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है।

## तथ्य

- गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात): एशियाई सिंहों/शेरों का एकमात्र निवास।
- कुनो राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश): नामीबिया से लाए गए चीतों को यहाँ पुरःस्थापित किया गया (प्रोजेक्ट चीता के तहत; बड़े जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर-महाद्वीपीय स्थानांतरण से जुड़ी विश्व की पहली परियोजना)।
- सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल): यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है (1987) और मैंग्रोव वनों का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है।



//

## संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ क्या हैं?

- **अतिक्रमण और वकिसात्मक गतिविधियाँ:** सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र, खनन कार्य और अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ संरक्षित क्षेत्रों पर अधिक से अधिक दबाव डाल रही हैं।
  - उदाहरण के लिये, काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर सड़क निर्माण और पोबतौरा वन्यजीव अभयारण्य के पास औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के प्रस्तावों ने आवास वनाश के बारे में चर्चाएँ उत्पन्न कर दी हैं।
- **प्रवर्तन और नगिरानी का अभाव:** PA के प्रबंधन में महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन का अभाव है।
  - कुछ मामलों में, संरक्षित क्षेत्र अपर्याप्त जनशक्ति, खराब नगिरानी प्रणाली और भ्रष्टाचार के कारण अवैध गतिविधियों को रोकने में असमर्थ हैं।

- **संरक्षण और विकास के बीच संघर्ष:** संरक्षण और विकास हतियों के बीच तनाव अक्सर नीतगत संघर्षों को जन्म देता है।
  - उदाहरण के लिये, असम में **हूलांगापार गबिबन अभयारण्य** और **पोबतिरा वन्यजीव अभयारण्य** चर्चा का वषिय रहे हैं, जहाँ उद्योगपति ऐसी परियोजनाओं पर जोर दे रहे हैं, जो इन क्षेत्रों की पारस्थितिकि अखंडता के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं।
- **राजनीतिक और संस्थागत वफिलताएँ:** संरक्षित क्षेत्रों में उल्लंघनों के वरिद्ध समय पर और प्रभावी कार्रवाई करने में स्थानीय सरकारों तथा वन वभिगों की वफिलता के कारण भी संरक्षण परयासों में कमी आई है।
  - **राजनीतिक दबाव कभी-कभी पर्यावरणीय चतिताओं पर भारी पड़ जाते हैं, जैसा क् असम में बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य** से होकर गुजरने वाली सड़क के लिये वविदासपद मंजूरी या काज़ीरंगा के नकिट नयोजति होटल नरिमाण के मामले में देखा जा सकता है।
- **सामुदायिक परतरोध और भूमि अधिकार:** संरक्षण नयिमों के लागू होने से अक्सर स्थानीय समुदायों के साथ संघर्ष होता है, खासकर तब जब उनकी पारपरकि आजीविका बाधति होती है।
- **जलवायु परविरतन और आवास की कषति:** कई संरक्षित क्षेत्र जलवायु परविरतन के खतरे का सामना कर रहे हैं, जो आवासों प्रभावति, प्रजातयियों के क्षेत्रों को स्थानांतरति, तथा चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ता को बढ़ा रहा है।

## आगे की राह:

- **परवर्तन तंत्र को मज़बूत करना:** अतकिरण और अवैध गतवधियों को रोकने के लिये संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावी नगरानी, गश्त एवं नयितरण आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिये **बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की हाल ही में हुई मौत वन्यजीव प्रबंधन** में गंभीर चूक को उज़ागर करती है। **संरक्षित क्षेत्रों में भवषिय में होने वाली त्रासदयियों को रोकने के लिये इस तरह की लापरवाही को दूर कथि जाना चाहिये।**
- **विकास परयोजनाओं के लिये स्पष्ट दशिया-नरिदेश:** संरक्षित क्षेत्रों के नकिट या अंदर विकास परयोजनाओं को मंजूरी देने के लिये अधिक पारदर्शी एवं मज़बूत तंत्र स्थापति कथि जाना चाहिये।
  - दशिया-नरिदेशों में यह सुनश्चिति कथि जाना चाहिये क् किसी भी प्रस्तावति परयोजना का पर्यावरणीय प्रभाव का गहन मूल्यांकन कथि जाए, तथा वन्यजीव आवासों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिये वशिषिट उपाय कथि जाएं।
- **समावेशी संरक्षण मॉडल:** स्थानीय समुदायों को संरक्षण में संलग्न होना चाहिये, तथा वसितारति संरक्षण एवं सामुदायिक आरक्षित मॉडल के माध्यम से सतत् आजीविका को बढ़ावा देना चाहिये।
  - इन मॉडलों में क्षमता नरिमाण कार्यक्रम शामिल होने चाहिये ताक् समुदायों को वैकल्पिक आय स्रोत वकिसति करने में मदद मलि सके जो वन्यजीवों के लिये हानिकारक न हों।
- **कानूनी और संस्थागत सुधार:** मौजूदा कानूनी ढाँचे व्यापक होने के बावजूद बेहतर क्रयिान्वयन की ज़रूरत है। **वन (संरक्षण) अधनियम और WPA** को उल्लंघन के लिये सख्त दंड के साथ मज़बूत कथि जाना चाहिये, और स्थानीय सरकारी संस्थानों को संरक्षण कानूनों को बनाए रखने में वफिल रहने के लिये जवाबदेह बनाया जाना चाहिये।
  - **राष्ट्रीय हरति अधकिरण (NGT)** ने उल्लंघनों को दूर करने में सक्रयि भूमिका दखिाई है, लेकनि कानूनी प्रक्रयिाओं की गति में सुधार की आवश्यकता है।
- **जलवायु परविरतन के खतरों से नपिटना:** जलवायु परविरतन के प्रतिसंवेदनशील संरक्षित क्षेत्रों को बदलती पर्यावरणीय परस्थितयियों से नपिटने के लिये अनुकूली संरक्षण रणनीतयियों की आवश्यकता है।
- **जन जागरूकता और समर्थन:** संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्यजीवों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है। **गैर सरकारी संगठनों, कारयकरत्ताओं एवं मीडिया को संरक्षण पर प्रकाश डालना चाहिये तथा विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर संवाद को बढ़ावा देना चाहिये।**

???????? ???? ???? ???? ???? ???? :

**प्रश्न:** संरक्षित क्षेत्रों के नकिट विकास संबंधी परयोजनाओं को मंजूरी देने के लिये स्पष्ट दशिया-नरिदेशों और मज़बूत तंत्र की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजयि, तथा ऐसे उपाय वन्यजीव आवासों को होने वाले नुकसान को कैसे रोक सकते हैं?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

???????????????? :

**प्रश्न.** भारतीय अनूप मृग (बारहसगिा) की उस उपजाति, जो पक्की भूमि पर फलती-फूलती है और केवल घासभक्षी है, के संरक्षण के लिये नमिनलखिति में से कौन-सा संरक्षित क्षेत्र प्रसदिह है? (2020)

- कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
- मानस राष्ट्रीय उद्यान
- मुद्गमलाई वन्यजीव अभयारण्य
- ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य

उत्तर: (a)

